संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश शासन
छठवीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 2320/4/संचिशि/13 दिनांक 19/07/2013

एम.पी.पीएमटी 2013 के माध्यम से शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा तथा निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये ऑन लाईन काउंसिलिंग के संबंध में

निर्देश

यह निर्देश पी0एम0टी0 2013 में चयनित उम्मीदवारों के लिये है । कृपया सभी छात्र निर्देशों को ठीक से पढे । शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी (प्रायवेट) महाविद्यालयों का कार्यक्रम अलग-अलग दिया जा रहा है । सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रत्येक कार्यक्रम में पृथक-पृथक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है । उम्मीदवार जिस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगें उसी कार्यक्रम में सीट आवंटन की पात्रता होगी ।

1.0 **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रजिस्ट्रेशन /च्वाईस फिलिंग एवं लॉक करने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते कार्यवाही पूर्ण करने का प्रयास करें जिससे उन्हें अंतिम तिथि पर कोई समस्या उत्पन्न न हो ।**

2.0 एम.पी.पीएमटी 2013 की काउंसिलिंग ऑनलाईन की जावेगी जिसमें व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी 2013 परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित प्रवर्ग के न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सम्मिलित हो सकते है ।

3.0 **ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन (Online Registration)**

3.1 मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित पीएमटी. 2013 की परीक्षा में सफल घोषित सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा । रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों को ही काउंसलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा । रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी । व्यापम द्वारा परीक्षा में सफल होने के उपरांत यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता तो ऐसे उम्मीदवारों को काउंसलिंग/सीट आवंटन की पात्रता नहीं होगी तथा यह माना जावेगा कि वे काउंसलिंग/सीट आवंटन हेतु इच्छुक नहीं है ।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन निजी (प्रायवेट) एवं शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पृथक–पृथक करना अनिवार्य होगा ।

3.2. अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन हेतु अपना स्वयं का अथवा किसी अन्य के किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर सकते है अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क पर जाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कर सकते है । कियोस्क की सूची एम.पी ऑनलाईन की अधिकृत वेबसाईट (www.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है ।

3.3 अभ्यर्थी को ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन के समय काउंसलिंग शुल्क रू. 500/– एवं पोर्टल शुल्क रूपये 30/– देय होगा। इसके अतिरिक्त रूपये 100/– च्वाइस (विकल्प) लॉक (LOCK) करते समय देने होंगे । शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी (प्रायवेट) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये रजिस्ट्रेशन के लिये देय शुल्क एवं च्वाईस लॉक–ईन शुल्क पृथक–पृथक देना होगा ।

3.4 रजिस्ट्रेशन के लिये देय शुल्क एवं लॉक–ईन शुल्क अधिकृत क्योस्क में नगद भुगतान किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन पेमेन्ट द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्न सुविधाओं का उपयोग कर सकते है :–

1. इंटरनेट बेंकिंग ।
2. ए.टी.एम. सह डेबिटकार्ड
3. क्रेडिट कार्ड

3.5 **<u>रजिस्ट्रेशन के चरण निम्न अनुसार होंगें :–</u>**

(एक) उम्मीदवारसर्वप्रथम एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाईट "www.mponline.gov.in" को खोलें। इस वेबसाईट पर "**Citizen Services**" प्रदर्शित की गई है । कृपया "**Citizen Services**" पर क्लीक करें । तत्पश्चात् काउंसलिंग टैब पर क्लिक करें डीएमई काउंसलिंग का लोगो **(Logo)** दिखाई देगा उस पर क्लिक करें ।

(दो) तत्पश्चात् मेडिकल/डेंटल 2013 काउंसलिंग का होम पेज खुलेगा । कृपया रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लीक करें। जिसके पश्चात् एक पेज खुलेगा। कृपया इस पेज पर एम.पी. पीएमटी रोलनंबर निर्धारित कॉलम में भरे तथा "View Details" पर क्लीक करें ।

(तीन) तत्पश्चात् रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा खुलेगा जिस पर संपूर्ण जानकारी सही–सही भरें ।

(चार) सम्पूर्ण जानकारी भरने के उपरांत **<u>"Save data"</u>** option पर क्लिक करें ।

(पॉच) रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा पूर्ण करने के पश्चात् "Proceed to payment for registration" पर क्लिक करें । इसके उपरांत निर्धारित पोर्टल शुल्क रू. 30/–तथा काउंसलिंग फीस रू. 500/– का भुगतान करें, जिसकी जानकारी **पैरा 3.4** में दर्शाई गई है ।

(छः) रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान कर "**Online Print**" पर क्लिक कर रसीद प्राप्त करें।

(सात) अस्थाई पासवर्ड रजिस्टर्ड ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर जो पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया है, के माध्यम से दिया जाएगा ।

(आठ) अभ्यर्थी को अपना प्रथम अस्थाई पासवर्ड सुरक्षा की दृष्टि से बदलना चाहिए। अभ्यर्थी डीएमई होम पेज पर "change /forget Password" नाम के लिंक पर क्लिक करके "Password" बदल सकता है । परिवर्तित पासवर्ड की सूचना अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड ई–मेल एवं मोबाईल के माध्यम से प्राप्त होगी । नए पासवर्ड को सुरक्षित एवं गोपनीय रखना चाहिए । पासवर्ड सुरक्षित रखने की जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी । यदि पासवर्ड गुम हो जाता है या भूल जाता है तो अभ्यर्थी forget Password विकल्प पर क्लिक करें तत्पश्चात अपना एमपी पीएमटी 2013 का रोल नंबर तथा जन्मतिथि अंकित करें । नया पासवर्ड प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को रूपये 100/– का भुगतान करना होगा ।

3.6 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयो/दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा भरने हेतु निम्नलिखित जानकारी आवश्यक होगी :–

अ. यथासंभव दो मोबाईल नंबर उपलब्ध करवायें (एक स्वयं का तथा एक अन्य वैकल्पिक नंबर देवें,जिससे आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक नंबर पर भी जानकारी दी जा सके)

ब. ई–मेल –आई.डी.। यदि उपलब्ध हो तो देवें।

स. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की जानकारी।

द. आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थीयों के जाति प्रमाण–पत्र पर प्रकरण क्रमांक व जारी करने का दिनांक तथा जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं स्थान अंकित होना चाहिये ।

4.0– ऑन–लाईन रजिस्ट्रेशन उपरांत मूल अभिलेखों के सत्यापन (Original Documents Verification) की प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

4.1 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन उपरांत मूल अभिलेखों का सत्यापन करवाना आवश्यक है । इस हेतु रजिस्ट्रेशन के उपरांत अभ्यर्थियों को अपने **मूल अभिलेखों** का सत्यापन किसी भी एक सहायता केन्द्र पर जाकर निधारिंत समयावधि में कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं सहायता केन्द्र पर निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उपस्थित होना अनिवार्य है।

4.2 सहायता केन्द्र शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा,सागर में स्थापित किये गये हैं। अभ्यर्थी के द्वारा अभिलेखों का सत्यापन **केवल किसी भी एक सहायता केन्द्र** पर करवाया जा सकेगा।

4.3 <u>शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयो/दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में स्क्रूटनी</u> हेतु अभ्यर्थी को निम्न मूल अभिलेखों के साथ सहायता केन्द्र पर उपस्थित होना <u>पडेगा</u> :–

1. एम.पी.पी.एम.टी. परीक्षा 2013 की मूल अंक सूची/इंटरनेट से प्राप्त अंक सूची ।
2. अर्हकारी परीक्षा (बारहवीं) की मूल अंक सूची (10+2)
3. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंक सूची ।
4. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र **प्रारूप 8** (एम.पी.पीएमटी 2013 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम व्यापम द्वारा जारी) के अनुसार प्रमाण पत्र में Dispatch No. , Date of issue. , Place of issue. ,Issuing Authority's Signature & Designation अंकित हो।
5. आरक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र **प्रारूप 4–अ/4–ब** (एम.पी.पीएमटी 2013 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम व्यापम द्वारा जारी) के अनुसार प्रमाण पत्र में Dispatch No. , Date of issue. , Place of issue. ,Issuing Authority's Signature & Designation अंकित हो।
6. आरक्षित संवर्ग {Military Person (MP), Freedom Fighter (FF), Physically Handicapped(PH)} हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र **प्रारूप–3 (अ) प्रारूप–3 (ब) प्रारूप–3 (स) प्रारूप–5** प्रमाण–पत्र (एम.पी. पीएमटी 2013 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम व्यापम द्वारा जारी) के अनुसार जो लागू हो ।
7. चरित्र प्रमाण पत्र ।
8. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप शपथ–पत्र ।
9. वर्तमान आय प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (आरक्षित प्रवर्ग हेतु) **(प्रारूप 10–ब)**(पीएमटी 2013 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम व्यापम द्वारा जारी) के अनुसार
10. यदि किसी संस्था में प्रवेशित हो तो संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण–पत्र, सूची, संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील सहित ।

11. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाण–पत्र :–

(एक) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र

एवम्

(दो) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुर्नवासकेन्द्र (Superintendent,vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped,Govt of India Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम योग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगें **<u>जोकि वर्तमान वर्ष का हो एवं स्क्रूटनी के दिनांक से 3 माह से अधिक पुराना न हो।</u>**

4.4 यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी संस्था में प्रवेश ले चुका है तथा उसके मूल अभिलेख संस्था में जमा है तो संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें कि उसके अभिलेख संस्था में जमा है । प्रमाण–पत्र में जमा अभिलेखों की सूची हो एवं अधिष्ठाता/प्राचार्य कार्यालय के जावक क्रमांक व तिथि के साथअधिष्ठाता/प्राचार्य के हस्ताक्षर तथा सील होना चाहिये । यह प्रमाण–पत्र दो माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा । इस प्रकार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनन्तिम (प्रोवीजनल) पात्रता होगी । प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापित करवाना होगें तत्पश्चात् ही अंतिम (Final) प्रवेश दिया जावेगा । प्रत्येक अभ्यर्थी को सभी अभिलेखों की फोटोप्रतियों के सत्यापित दो सेट तथा पीएमटी. परीक्षा फार्म पर चस्पा फोटो की दो प्रति जमा करनी होगी ।

4.5.1 उम्मीदवार के सभी मूल अभिलेखों के सही पाये जाने एवं सत्यापन होने के उपरांत ही सहायता केन्द्र द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। यदि प्रमाण–पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पायी जाती है तो सहायता केन्द्र द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावेगा। निर्धारित अवधि में ही उम्मीदवार को त्रुटि या कमी पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद उम्मीदवार को पुनः आवश्यक अभिलेखों के साथ **उसी सहायता केन्द्र पर** उपस्थित होना होगा तथा पुनः सत्यापन के उपरांत सही पाए जाने पर पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा ।

4.5.2 उम्मीदवार के अभिलेखों में त्रुटि पाये जाने पर सहायता केन्द्र द्वारा उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा ।

4.6 यदि उम्मीदवार आरक्षित प्रवर्ग (SC,ST,OBC)/विकलांग अभ्यर्थी(PH)/मिलिट्री पर्सन (MP) /स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) संवर्ग का है तथा वह संबंधित उचित प्रमाण–पत्र निर्धारित तिथि तक सत्यापन के लिये प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

4.7 निजी (प्रायवेट) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा भरने हेतु निम्नलिखित जानकारी आवश्यक होगी :–

अ. यथासंभव दो मोबाईल नंबर उपलब्ध करवायें (एक स्वयं का तथा एक अन्य वैकल्पिक नंबर देवें,जिससे आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक नंबर पर भी जानकारी दी जा सके)

ब. ई–मेल –आई.डी. यदि उपलब्ध हो तो देवें ।

स. आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण–पत्र एवं मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवास प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक व जारी करने का दिनांक तथा जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम, हस्ताक्षर एवं स्थान अंकित होना अनिवार्य है ।

4.7.1 निजी **(प्रायवेट)** चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन उपरांत अभिलेखों की स्कूटनी नहीं होगी उन्हें आवंटन उपरांत प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में निम्नलिखित अभिलेखों की स्कूटनी करवाना अनिवार्य होगा ।

1. एमपी पीएमटी–2013 परीक्षा की मूल अंकसूची/इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची
2. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची (10+2)
3. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंक सूची ।
4. आरक्षित प्रवर्ग हेतु मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र **प्रारूप 8** (एम.पी.पीएमटी 2013 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम व्यापम द्वारा जारी) के अनुसार प्रमाण पत्र में Dispatch No. , Date of issue. , Place of issue. ,Issuing Authority's Signature & Designation अंकित हो।
5. आरक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र **प्रारूप 4–अ/4–ब** (एम.पी.पीएमटी 2013 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम व्यापम द्वारा जारी) के अनुसार प्रमाण पत्र में Dispatch No. , Date of issue. , Place of issue.,Issuing Authority's Signature & Designation अंकित हो।
6. चरित्र प्रमाण पत्र ।
7. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप शपथ–पत्र ।
8. वर्तमान आय प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में । (आरक्षित प्रवर्ग हेतु) **(प्रारूप–10–ब)** (पीएमटी 2013 परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम व्यापम द्वारा जारी) के अनुसार।
9. यदि किसी संस्था में प्रवेशित हो तो संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण–पत्र, सूची, संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील सहित ।
10. विकलांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाण–पत्र :–

(एक) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र

एवम्

(दो) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुर्नवासकेन्द्र (Superintendent,vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped , Govt of India Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम योग्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगें **जोकि वर्तमान वर्ष का हो एवं स्कूटनी के दिनांक से 3 माह से अधिक पुराना न हो।**

4.8 शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्क्रुटनी के लिये आये अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों तथा उनकी फोटोप्रतियों के दो सेट के साथ उपस्थित होना होगा।

5.0 अभ्यर्थी द्वारा शासकीय स्वशासी/निजी (प्रायवेट) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रम की प्राथमिकता कम (च्वाईस फीलिंग) का निर्धारण तथा शुल्क के भुगतान हेतु महत्वपूर्ण निर्देशः–
(Important Instructions for Finalizing order of Choice Filling of the Govt.Autonomous/Private Medical/Dental college and Course opted by the candidate and payment of fees thereof)

5.1 (एक) पाठयक्रम एवं महाविद्यालय की च्वाईस भरते समय अभ्यर्थी यह सावधानी रखे की वह प्राथमिकता के आधार पर पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) एवं उन्हीं महाविद्यालयों का चयन करें जिसमें वह प्रवेश लेने का इच्छुक है। अभ्यर्थी को केवल उसके द्वारा की गई च्वाईस फीलिंग के आधार पर ही काउंसलिंग में सीट आवंटन किया जावेगा। अभ्यर्थी जितने महाविद्यालयों हेतु च्वाईस फिलींग करेगा उन्ही महाविद्यालयों हेतु आवंटन पर विचार किया जावेगा। **च्वाईस फिलिंग मात्र एक ही बार होगी।**
च्वाईस लॉक–ईन के पश्चात कोई परिवर्तन संभव नही होगा।

(दो) अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों में से जो महाविद्यालय/पाठ्यक्रम उसके अनारक्षित मेरिट के आधार पर निर्धारित होगा वह उच्चतर विकल्प उसकी मेरिट के आधार पर उपलब्ध होने पर आवंटित होगा ।

(तीन) अनुसूचित जाति, जन जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को उच्चतर विकल्प के आधार पर निम्नानुसार आवंटन किया जावेगा।
(क) अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा
(ख) उसके आरक्षित प्रवर्ग की मेरिट के आधार पर आवंटित हो सकने वाले चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय
यदि (क) व (ख) दोनों लागू होता है तो (क) अनुसार महाविद्यालय में सीट आवंटित की जावेगी।

5.2.0 **<u>पाठ्यक्रम एवं शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा /निजी (प्रायवेट) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये च्वाईस फिलिंग(Choice Filling) एवं च्वाईस लॉक–ईन (Choice lock-in)की प्रकिया निम्नानुसार होगी :–</u>**

5.2.1 अभ्यर्थी पाठयक्रम/संस्थाओं का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगें । शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी (प्रायवेट) चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी (प्रायवेट) दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की सीट चयन हेतु पृथक पृथक च्वाइस फिलिंग(Choice Filling) करना होगी।इस कार्यवाही के लिए निम्नानुसार प्रकिया रहेगीः–

(एक) प्राथमिकता क्रम के चयन हेतु "www.mponline.gov.in" वेबसाईट ओपन करें।

(दो) जिसमें होम पेज प्रदर्शित होगा जिस पर “Citizen Services” पर क्लिक करने पर खुले हुए पेज पर “DME Counseling” पर क्लिक करें ।

(तीन) तत्पश्चात् “DME Counseling” का होम पेज खुलेगा जिसमें "Login For Choice Filling" पर क्लिक करें ।

(चार) इसके बाद खुले हुये पेज पर "View Instructions" नाम की लिंक पर क्लिक करें एवं दिये गये दिशा निर्देशो को भलीभांति पढ लें। दिये गये दिशा निर्देशो को अच्छी तरह से पढ लेने के पश्चात् आपका पीएमटी 2013 का रोल नम्बर एवं जन्मतिथि निर्धारित स्थान पर अंकित करें और "Submit" बटन पर क्लिक करें ।

(पांच) इसके पश्चात् आपसे आपका पासवर्ड पूछा जायेगा कृपया आपका पासवर्ड अंकित करें । उसके बाद "Login For Choice Filling" बटन पर क्लिक करें । इसके बाद च्वाईस फिलिंग का पेज खुलेगा। तत्पश्चात् बताए अनुसार अपना पासवर्ड अंकित करें । यदि पूर्व में आपने पासवर्ड परिवर्तित नहीं किया है तो पासवर्ड में परिवर्तन कर नए पासवर्ड का चुनाव करें । जिसमें कम से कम 06 अक्षर/अंक होना चाहिए । परिवर्तित पासवर्ड अंकित करने के पश्चात् "Login For Choice Filling" बटन पर क्लिक करें । यदि आपने पूर्व में अपना पासवर्ड परिवर्तित कर लिया था तो वह परिवर्तित पासवर्ड अंकित कर "Login For Choice Filling" बटन पर क्लिक करें । तत्पश्चात् च्वाईज फीलिंग का पेज खुलेगा। उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढें तथा अपना इच्छित महाविद्यालयवार प्राथमिकता के क्रम के आधार पर च्वाईस (Choice)/विकल्प भरें ।

(छः) च्वाईस (Choice) भरने के बाद “Submit list of preference” पर क्लिक करें । तत्पश्चात् जो पेज ओपन होगा उस पर आपके द्वारा भरी गई च्वाईस (Choice) प्रदर्शित होंगी जिसमें दो ऑप्शन दिए गए होंगें –“Save” एवं “Change your choice”।

(सात) यदि आप अपने चुने हुए विकल्प से संतुष्ट हैं,तो "Save" ऑप्शन पर क्लिक करें एवं अगर परिवर्तन चाहते हैं तो “Change your choice” पर क्लिक कर फिर से प्राथमिकता क्रम च्वाईस बदल सकते हैं। “Save” बटन पर क्लिक करने के पश्चात् आपके सुरक्षित विकल्प पुनः आपको प्रदर्शित होंगें ।

5.2.2 यदि "Save" की हुई च्वाईसेस (Choices) में कोई परिवर्तन चाहते है तो भुगतान करने के पूर्व "Log out from choice filling" पर क्लीक करें एवं "choice filling" की प्रकिया पुनः करें । आपके द्वारा पूर्व में "Save" की हुई च्वाईसेस (Choices) उसी क्रम में प्रदर्शित होंगी ।

5.2.3 जब आप अपनी इच्छित प्राथमिकता क्रम को अंतिम रुप से चयन कर चुके हैं तब "Lock" करने के लिये "Proceed to Payment to Lock your choice" पर क्लिक कर भुगतान करें । बिना भुगतान करें आपकी च्वाईस लॉक नहीं होगी तथा सीट का आवंटन संभव नहीं होगा । "Lock" करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता क्रम को अपनी संतुष्टी के लिये कई बार बदल सकता है । "Lock" करने के बाद प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन नहीं होगा । **कृपया अपनी च्वाईसेस को लॉक करने का शुल्क भुगतान एवं लॉक करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपको कोई सीट आवंटित नहीं होगी ।**

5.2.4 पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये च्वाईस/विकल्प के अनुसार ही होगा । यदि अभ्यर्थी विकल्पों का चुनाव करने में कोई त्रुटी करता है तो उसी अनुसार आवटन हो जायेगा तथा इसकी समस्त जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी । **अतः विकल्पो का चुनाव पूर्ण सावधानी से करने के पश्चात् ही च्वाईस लॉक (Choice lock) करें ।**

5.2.5 पात्र उम्मीदवारों को उसकी पात्रता एवं शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की मेरिट अनुसार तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उसकी पात्रता एवं मेरिट अनुसार पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का आवंटन पृथक–पृथक होगा ।

6.0. ऑन लाईन आवंटन (On line allotment) पत्र प्राप्त करने की प्रकिया निम्नानुसार होगीः–

6.1 अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर, पात्रता अनुसार अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट/आरक्षित प्रवर्ग की मेरिट के अनुसार तथा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का आवंटन किया जावेगा। आवंटित पाठ्यक्रम/ महाविद्याालय का उल्लेख आवंटन पत्र में रहेगा ।

(एक) आवंटन पत्र प्राप्त करने हेतु "www.mponline.gov.in" वेबसाईट ओपन करे। खुले हुये पेज पर "Citizen Services" पर क्लिक करने पर **"Counseling Page "** खुलेगा।उस खुले हुये पेज पर "DME Counseling" पर क्लिक करें,होम पेज ओपन होगा ।

(दो) इस पेज पर "Print Allotment letter" नाम की लिंक पर क्लिक करें एक पेज खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी को अपना रोल नम्बर/जन्मतिथि अंकित करना होगा तथा अपना पासवर्ड डालकर "Login To View Allotment letter" पर क्लिक करें एक पेज खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी, उसके द्वारा भरे गये विकल्प एवं आवंटित सीट प्रदर्शित होगी ।

(तीन) यदि अभ्यर्थी उसके द्वारा भरी गई च्वाईसेस (Choices)को देखना चाहता है तो"View College preference" पर क्लिक करना होगा ।

(चार) अपने आवंटन पत्र का प्रिन्टआउट लेने हेतु "View Allotment letter" क्लिक करें जिसके पश्चात् आवंटन पत्र प्रदर्शित होगा जो कि पूर्ण रूप से अनन्तिम (प्राविजनल) होगा, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉग इन आईडी /पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे । संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन होने के पश्चात् निर्धारित समय–सीमा में जो कि उनके प्रिंटआउट पर मुद्रित होगा, अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम में उसके प्रिंटआउट पर दर्शाई अंतिम तिथि तक आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने तथा प्रवेशित संस्था से प्रवेश पर्ची (Admission Slip) अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरित अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा तथा स्वयं के हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति संस्था में जमा करना होगी ।

(पांच) **अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है अन्यथा आवंटन निरस्त माना जावेगा ।** प्रवेशित सीट महाविद्यालय में लॉक करने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी पुर्नआवंटन का इच्छुक है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा । पुर्नआवंटन आप्शन लेने के बाद अभ्यर्थी आगामी चक्र की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगें ।

(छः) यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो एक पावती मिलेगी जिस पर "No College Allotted" लिखा होगा । जिसे अभ्यर्थी आवश्यक रूप से प्राप्त कर सुरक्षित रखें । ऐसे अभ्यर्थी आगामी काउंसलिंग के लिये पात्र रहेंगें ।

6.2 **यदि अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में प्रवेश नही लेता है तो उसका आवंटन स्वयमेव निरस्त हो जाएगा । तथा ऐसे अभ्यर्थी आगामी काउंसलिंग चक्र में भाग लेने के पात्र नही होगे। उक्त निरस्त सीट को रिक्त मानते हुए आगामी काउंसलिंग/पुर्नआवंटन में सम्मिलित किया जायेगा।**

6.3.0 आवंटित संस्था (शासकीय स्वशासी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजी (प्रायवेट) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों) में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं शिक्षण शुल्क के भुगतान की प्रकियाः–

(Procedure for reporting at allotted institute and verification of Documents & payment of fees)

6.3.1 अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में संपूर्ण मूल दस्तावेज एवं छायाप्रति के दो सेट एवं दो फोटोग्राफ जो एम.पी. पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2013 फार्म पर चस्पा किये हो एवं आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होगा।
अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश के समय स्क्रूटनी के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा कर पावती प्राप्त करेगे तथा निम्नानुसार प्रतिभूति निक्षेप जमा करेगेः–

1. प्रवेश के समय प्रमाण–पत्र सत्यापन के दौरान अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रु. 10,000/– प्रतिभूति निक्षेप संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में जमा करेंगे।
2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय समस्त स्त्रोंतों को मिलाकर रु. 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी रु. 2000/– प्रतिभूति निक्षेप संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को देय डीमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में जमा करेंगे।
3. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय समस्त स्त्रोंतों को मिलाकर रु. 3.00 लाख से अधिक नहीं है कोई प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं करेंगे।

7.1 निजी संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क /अन्य शुल्क का निर्धारण "प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति" (एएफआरसी) म.प्र. द्वारा किया जाता है । इसकी जानकारी वेवसाईट **www.afrcmp.org** पर उपलब्ध है ।

7.2 शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीट के पुर्नआवंटन होने पर महाविद्यालय द्वारा शुल्क, अन्य शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में स्थानांतरित की जावेगी।

7.3 निजी महाविद्यालयों में सीट के पुर्नआवंटन होने पर संस्था द्वारा शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत राशि कटौती की जा कर शेष राशि अभ्यर्थी को वापिस की जावेगी तथा अन्य महाविद्यालय में अभ्यर्थी को पूर्ण शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

8.0 **काउंसलिंग / प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइट निम्नानुसार है :–**
www.mponline.gov.in
www. medicaleducation.mp.gov.in

9.0 हेल्पलाइन :–

(1) ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रकिया से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के लिये एमपी ऑन लाईन के Customer care No. 0755-4019401, 0755-4019402, 0755-4019403, 0755-4019404, 0755-4019405 से सम्पर्क करें।

(2) संचालक चिकित्सा शिक्षा की हेल्पलाइन 0755-2552385 दिनांक 22/07/2013 से शासकीय कार्य दिवसों में प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

10. उपरोक्त निर्देशो में अगर कोई संशोधन अथवा परिवर्तन आवश्यक होने पर तदाशय की सूचना पैरा 8.0 मे उल्लेखित वेबसाईट पर प्रर्दशित की जावेगी।

हस्ता/–

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश